16/5/18

वकील प्रार्थी ने इस प्रकरण को स्थगन कर को लाने - विशेष लोक अदालत लिया। मैं इस लिये इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस लिये इस प्रकरण निराकरण हेतु घर-घर मिशन की टीम व पक्षकारों को नल सूचना भेजकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

न्यायाधीश
लोक अदालत
रतलाम